Bill No. 41 of 2017

THE RAJASTHAN RELIEF UNDERTAKINGS (SPECIAL PROVISIONS) (AMENDMENT) BILL, 2017

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Relief Undertakings (Special Provisions) Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Relief Undertakings (Special Provisions) (amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 9 of 1961.- In sub-section (2) of section 3 of the Rajasthan Relief Undertakings (Special Provisions) Act, 1961 (Act No. 9 of 1961), for the existing expression "twenty years", the expression "thirty years" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Relief Undertakings (Special Provisions) Act, 1961 provides relaxations from certain labour laws as specified in the Act, to the industrial undertakings which are declared as relief undertakings under the provisions of the Act. The industrial undertakings, which are eligible for revival, can be declared as relief undertakings under this Act.

Presently, any industrial undertaking, which the State Government deems fit can be declared as relief undertaking for a maximum period of twenty years. Some of the undertakings can not come out of sickness even after twenty years of their relief undertaking period. There are several reasons such as lengthy judicial proceedings, lack of suitable revival proposal etc. In such cases, if the relief undertaking period is not extended the revival become very tough and ultimately the undertaking turns as burden for the State.

Keeping in view the above mentioned factors, it is considered appropriate to increase the maximum period upto thirty years.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

राजपाल सिंह शेखावत,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN RELIEF UNDERTAKINGS (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 1961

(ACT NO. 9 OF 1961)

XX XX XX XX XX XX

3. Declaration of relief undertaking.- (1) xx xx xx xx

(2) A notification under sub-section (1) shall have effect for such period not exceeding two years as may be specified in the notification; but it shall be renewable by like notifications from time to time, for further periods not exceeding twelve months at a time, so however, that the total period in the aggregate does not exceed twenty years.

XX XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2017 का विधेयक सं.41

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 9) की धारा 3 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1961 ऐसे औद्योगिक उपक्रमों के लिए, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सहायता उपक्रम के रूप में घोषित किये जाते हैं, अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट कतिपय श्रम विधियों से शिथिलीकरण का उपबंध करता है। औद्योगिक उपक्रमों को, जो पुनरुज्जीवन के पात्र हैं, इस अधिनियम के अधीन सहायता उपक्रम घोषित किया जा सकता है।

वर्तमान में, किसी भी औद्योगिक उपक्रम को, जिसे राज्य सरकार ठीक समझे, अधिकतम बीस वर्ष की कालावधि के लिए सहायता उपक्रम घोषित किया जा सकता है। कुछ उपक्रम उनकी बीस वर्ष की सहायता उपक्रम कालावधि के पश्चात् भी रुग्णता से बाहर नहीं आ सकते। इसके अनेक कारण हैं यथा लम्बी न्यायिक कार्यवाहियां, उपयुक्त पुनरुज्जीवन प्रस्ताव का अभाव इत्यादि। ऐसे मामलों में, यदि सहायता उपक्रम कालावधि नहीं बढ़ायी जाती है तो पुनरुज्जीवन बहुत कठिन हो जायेगा और अंतत: ऐसा उपक्रम राज्य के लिए बोझ बन जायेगा।

ऊपर उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए, अधिकतम कालावधि को तीस वर्ष तक बढ़ाया जाना समुचित माना गया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

राजपाल सिंह शेखावत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

3. सहायता उपक्रम की घोषणा.- (1) XX XX XX XX XX

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना दो वर्ष से अधिक ऐसी कालावधि के लिए प्रभावशील होगी जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये किन्तु यह कालावधि समय-समय पर इसी प्रकार की अधिसूचनाओं द्वारा ऐसी और कालावधिओं के लिए, जो एक बार में बारह मास से अधिक नहीं होगी, नवीकरण योग्य होगी परन्तु ऐसी संपूर्ण कालावधि कुल मिलाकर बीस वर्ष से अधिक न होगी।

XX XX XX XX XX

2017 का विधेयक सं.41

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,

सचिव।

(राजपाल सिंह शेखावत, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 41 of 2017

THE RAJASTHAN RELIEF UNDERTAKINGS (SPECIAL PROVISIONS) (AMENDMENT) BILL, 2017

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Relief Undertakings (Special Provisions) Act, 1961.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(Rajpal Singh Shekhawat, **Minister-Incharge**)